न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 89/2018
आरसीएमएस नम्बर– 2018/00450

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
भंवरलाल पुत्र पुराजी जाति सरगरा निवासी आऊवा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी 326 बापू नगर विस्तार, पाली		1 नारायणलाल पुत्र पुराजी जाति सरगरा निवासी आऊवा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2 ग्राम पंचायत आऊवा जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री अब्दुल रहमान सोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पवन सिंघल, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 3/9/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत आऊवा द्वारा मिसल संख्या 64/1996–97 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 28.06.1997 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1889 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आऊवा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी मकान आया हुआ स्थित है, जिसका पूर्व में रियासतकालीन पट्टा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम से जारी किया गया हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलाकत करते हुए बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध हैं। चूंकि उक्त भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इसलिए ग्राम पंचायत को उक्त भमि का दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई प्रक्रिया अपनाए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है, वह पट्टा जारी करने के 21 वर्षों के पश्चात प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर हैं। इसे देरीना पेश करने का प्रार्थी द्वारा कोई कारण ही दर्शित नहीं किया हैं। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्राथमिक स्तर पर ही खारिज़ योग्य हैं। इस सम्बन्ध में सिविल वाद भी विचाराधीन हैं। प्रार्थी एक ही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अनुतोष को लेकर पृथक पृथक न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते हैं। जिस पुराने पट्टे का प्रार्थी ने जिक्र किया है, वह प्रार्थी के नाम का नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पुराने पट्टाधारक के समस्त वारिशान को भी पक्षकार नहीं बनाया है, जिसके कारण आवश्यक पक्षकारान् के अभाव में भी निगरानी पोषणीय नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का मकान बना हुआ है तथा बिजली, पानी का कनेक्शन हैं। मकान में अप्रार्थी संख्या 1 का रहवास हैं। प्रार्थी को इससे किसी प्रकार का सरोकार नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जैर निगरानी आज्ञा एव उससे सम्बन्धित रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया हैं। विधिक रूप से न्यायालय हाजा को पंचायत को कार्यवाही, उसकी विधिकता आदि को जाँचने के अधिकार है, किन्तु जब रेकर्ड उपलब्ध ही नहीं है, तो विधिकता आदि की जाँच ही नहीं की जा सकती हैं तथा बिना पत्रावली के इसका निर्धारण भी नहीं हो सकता हैं। पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पुश्तैनी है, जिसका पट्टा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वजों के नाम पूर्व में ही जारी हो चुका हैं। इस तथ्य को अप्रार्थी द्वारा भी नकारा नहीं हैं, इस कारण उक्त तथ्य प्रमाणित एवं अखण्डित हैं। अप्रार्थी द्वारा जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए है, वे अवश्य ही सम्माननीय हैं, किन्तु प्रकरण हाजा में इस कारण चस्पा नहीं होते है, क्योंकि प्रकरण हाजा में जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इस कारण पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते दुबारा पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा विधि विरूद्ध पाया जाता हैं तथा विधि विरूद्ध रूप से जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त कराने हेतु परिसीमा के प्रावधान किसी भी रूप में बाधक नहीं हैं। तद्नुसार निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत आऊवा द्वारा मिसल संख्या 64/1996–97 में पारित प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 28.06.1997 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1889 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली